

288

निगा 03092/2018/सिंगरौली/भू-रा०

396

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प- रीवा, संभाग
रीवा (म.प्र.)



श्री विवेक शर्मा
रा.वेशा/ 21-5-18

कलेक्टर अफ़्ट कलेक्टर
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(कलेक्टर कार्यालय) रा.वेशा

1. फरजन मुसलमान तनय स्व० मुण्डू मुसलमान उम्र 80 वर्ष, पेशा खेती
2. सहदुल मुसलमान तनय स्व० मुण्डू मुसलमान उम्र 71 वर्ष, पेशा खेती
3. मौला बक्स तनय स्व० रीगद मुसलमान उम्र 50 वर्ष, पेशा खेती
4. मु० आशिककली पति स्व० गफूर मुसलमान उम्र 40 वर्ष, पेशा गृहकार्य एवं खेती
5. दीन मोहम्मद उर्फ पप्पू तनय स्व० गफूर मुसलमान उम्र 25 वर्ष, पेशा खेती

सभी निवासी ग्राम ओडिनी तह० चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०)

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. फरजुल्ला मुसलमान तनय स्व० छोटन मुसलमान उम्र 50 वर्ष पेशा खेती
2. बोखे मुसलमान तनय स्व० छोटन मुसलमान उम्र 48 वर्ष पेशा खेती
3. लाले उर्फ लालू मुसलमान तनय स्व० छोटन मुसलमान उम्र 46 वर्ष पेशा खेती
तीनों निवासी ग्राम ओडिनी तह० चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०)
4. गुलरी मुलसमान पति स्व० जान मोह० उम्र 55 वर्ष, पेशा गृहकार्य
5. बाबा मुलमान तनय स्व० जान मोह० उम्र 35 वर्ष पेशा खेती
6. छोटुआ मुसलमान तनय स्व० जान उम्र 32 वर्ष पेशा खेती गैरनिगरानीकर्ता 4 ता
6 निवासी ग्राम बगदरा तह० चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०)
7. अब्दुल मुसलमान तनय स्व० मुडू मुसलमान उम्र 75 वर्ष पेशा खेती, निवासी
ग्राम ओडिनी तह० चितरंगी जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
21.03.18 जो राजस्व प्रकरण क्र.
16/अपील/12-13 को माननीय अपर
कलेक्टर महोदय सिंगरौली द्वारा पारित
किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

M
2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-3092/2018

जिला-सिंगरौली

फरजन मुस0/फरजुल्ला मुस0

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 16/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	<p> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>